

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

संतोष कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

श्री संजीव कुमार (ID-5264),
तत्कालीन सहायक अभियंता,
सिंचाई प्रमंडल, उदेरा स्थान,
सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, (कार्यकारी प्रभार),
सिंचाई प्रमंडल, बाँका।

पटना, दिनांक-

विषय :- आरोप पत्र के साथ स्पष्टीकरण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अपने पदस्थापन के दौरान एकरारनामा सं०-01SBD/2018-19 अंतर्गत कराए गए मिट्टी भराई कार्य मद में Settlement Allowance की कटौती नहीं किए जाने, संवेदक को मिट्टी भराई कार्य मद में तदनुरूप मिट्टी भराई के लिए कॉम्पैक्शन मद में अधिकाई भुगतान करने संबंधी कतिपय आरोपों के संबंध में आपके विरुद्ध गठित आरोप पत्र के साथ स्पष्टीकरण करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

अतः इस पत्र के साथ संलग्न आरोप पत्र के आलोक में अपना स्पष्टीकरण एक पक्ष के भीतर समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय। निर्धारित समय सीमा के अन्दर जवाब अप्राप्त रहने की स्थिति में यह माना जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं ऐसी स्थिति में विभाग उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर एक पक्षीय निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(संतोष कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-

1656

पटना, दिनांक- 14-07-2022

प्रतिलिपि- संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, पटना/सभी उप-सचिव (प्रबंधन)/सभी अवर सचिव (प्रबंधन)/कार्यपालक अभियंता (आई०टी०), आई०टी० सेंटर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5, 6, 7, 8, 12 एवं 22, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संतोष कुमार सिन्हा

13-7-22

सरकार के अवर सचिव